भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *245

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवास

***245. श्री अरविंद गणपत सावंत:**

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, निर्मित, पूर्ण और लंबित आवासों का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार, जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आवास निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शिता और उनका निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और कौन-सी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्माण लागत में वृद्धि के कारण उक्त योजना के अंतर्गत सहायता राशि बढ़ाने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को लाभार्थियों को अनुदान की किस्त के संवितरण में देरी के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, किसानों और ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता देने के लिए क्या मानदंड और तंत्र लागू किए गए हैं; और

(च) आवास निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शिता और उनका निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में कार्यरत निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवास” के संबंध में लोकसभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 245 (5वां स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 (चरण II) के दौरान योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

दिनांक 05.03.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4.14 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष 3.90 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं, 2.97 करोड़ आवास पूरे हो चुके हैं और आवंटित लक्ष्यों की तुलना में 1.17 करोड़ आवास पूरे होने शेष हैं। महाराष्ट्र राज्य में, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित 43.71 लाख आवासों के संचयी लक्ष्य के सापेक्ष, 41.43 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, 16.80 लाख आवास पूरे हो चुके हैं और आवंटित लक्ष्यों की तुलना में 26.91 लाख आवास पूरे होने शेष हैं। 26.91 लाख आवासों में से, पीएमएवाई-जी के वर्तमान चरण (2024-25 से 2028-29) में राज्य को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष 25.99 लाख आवास लंबित हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शुरुआत से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, 05.03.2026 की स्थिति के अनुसार, संचयी लक्ष्यों, आवंटित लक्ष्यों की तुलना में पूर्ण होने वाले शेष संचयी आवासों और आवासों के निर्माण की पूर्णता का वित्तीय वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय राज्यों को लक्ष्य आवंटित करता है और जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को लक्ष्यों का आगे का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, लक्ष्यों, स्वीकृत आवासों और पूर्ण किए गए आवासों के राज्य-वार और जिला-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट https://report.pmayg.dord.gov.in/-->AwaasSoft-->Reports--->House progress against the target financial year पर देखे जा सकते है।

(ख) और (च): पीएमएवाई-जी की सभी स्तरों पर बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है। गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्माण को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) पीएमएवाई-जी आवास के निर्माण की वास्तविक प्रगति की निगरानी जियो टैग्ड, समय और दिनांक-अंकित तस्वीरों के माध्यम से की जाती है, जिन्हें निर्माण के प्रत्येक चरण और पूर्ण होने पर अपलोड करना अनिवार्य है।
(ii) पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत प्रत्येक आवास को एक ग्रामस्तरीय पदाधिकारी के-साथ टैग किया जाना अनिवार्य है, जिसका कार्य लाभार्थी के साथ समन्वय करना और निर्माण कार्य को सुगम बनाना है। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्माण के प्रत्येक चरण में, जहां तक संभव हो, 10% आवासों का निरीक्षण करना होता है; इसी प्रकार, जिला स्तर के अधिकारियों को निर्माण के प्रत्येक चरण में 2% आवासों का निरीक्षण करना अनिवार्य है।
(iii) मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता और क्षेत्र अधिकारी भी प्रगति का आकलन करने, लाभार्थियों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया आदि की जांच के लिए अपने क्षेत्र दौरों के दौरान पीएमएवाई-जी आवासों का दौरा करते हैं।
(iv) प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम एक बार औपचारिक **सामाजिक लेखापरीक्षा** आयोजित की जाती है, जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा शामिल होती है।
(v) सभी हितधारकों के लिए सूचना का एकल मंच सुनिश्चित करने हेतु समग्र एमआईएस **'आवाससॉफ्ट'** का उपयोग किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न मापदंडों की प्रगति की निगरानी निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है, जो आवश्यक क्षेत्रों में उचित कार्यकलाप की योजना बनाने में मदद कर रहा है।
(vi) केंद्र और राज्य के अंश की निधियों का जारी करना सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ग): प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोतर राज्यों पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित) में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता के अतिरिक्त लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी प्रदान की जाती है। शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्त्रोत के माध्यम से 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। पीएमएवाई-जी विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ मिलकर लाभार्थियों को पाइप पेयजल बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, सौर लालटेन और खाना पकाने की स्वच्छ ऊर्जा, सोलर रूफटॉप इत्यादि जैसे लाभ प्रदान करता है।

मंत्रालय में प्रति इकाई वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) राज्य क्षेत्रों को एक 'एकल इकाई' मानकर केंद्रीय अंश की निधियां सीधे उन्हें जारी करता है। इसके बाद, लाभार्थियों को सहायता की किस्तों के रूप में निधियों का संवितरण राज्य द्वारा किया जाता है। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रशासन के विभिन्न स्तरों जैसे कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर एक शिकायत निस्तारण तंत्र बनाया गया है। माननीय संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों और आम जनता द्वारा सीधे या सीपीग्राम्स के माध्यम से रिपोर्ट की गई अनियमितताओं के मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है। पीएमएवाई-जी की शुरुआत से, यानी 01.04.2016 से 05.03.2026 तक, ग्रामीण विकास मंत्रालय को सीपीग्राम्स पर पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित कुल 18,554 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें सहायता की किस्तों के संवितरण में देरी भी शामिल है। चूंकि राज्य सरकार पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन करती है, इसलिए इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने और इस मंत्रालय को सूचित करने के निर्देश के साथ संबंधित राज्यों को अग्रेषित कर दिया गया है। 18,554 शिकायतों में से, 05.03.2026 की स्थिति के अनुसार 18,545 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।

मंत्रालय राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि केंद्रीय और राज्य अंश की निधियां जारी करना सुनिश्चित किया जा सके, जिससे लाभार्थियों को सहायता की किस्तों का समय पर संवितरण हो सके। मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान भी करता है, जिसमें सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

(ङ) इस योजना के तहत, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 में निर्धारित आवास अभाव और अन्य सामाजिक वंचना मापदंडों के आधार पर सबसे कमजोर पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जो संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने के अध्यधीन है। पीएमएवाई जी के तहत, नीचे दिए गए स्वतः समावेशन मानदंडों के अनुसार स्वतः शामिल किए गए परिवारों को किसी प्राथमिकता समूह के भीतर अन्य परिवारों की तुलना में निचला स्थान नहीं दिया जाता है:

I. बिना आश्रय वाले परिवार
Ii. बेसहारा / भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले परिवार
Iii. मैला ढोने वाले
Iv. आदिम जनजातीय समूह
V. कानूनी रूप से छुड़ाए गए बंधुआ मजदूर

इसके अतिरिक्त, दो उपसमूहों अर्थात वे परिवार जो स्वतः शामिल हैं और अन्य में परस्पर प्राथमिकता उनके संचयी वंचना स्कोर के आधार पर निर्धारित की जाती है। स्कोर की गणना नीचे दिए गए सामाजिकआर्थिक मापदंडों से की जाती है, जिनमें से प्रत्येक को समान महत्व दिया गया है।

i. ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है
ii. महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 साल के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है
iii. ऐसे परिवार जिनमें 25 साल से ज़्यादा उम्र का कोई साक्षर वयस्क न हो
iv. ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य दिव्यांग हो और कोई भी वयस्क सदस्य सक्षम न हो
v. भूमिहीन परिवार जो आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से कमाते हैं।

सरकार ने उन लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक 'आवास 2018' सर्वेक्षण आयोजित किया, जिन्होंने एसआइसीसी 2011 के तहत छूट जाने का दावा किया था, और इस प्रकार संभावित लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम 60% लक्ष्य को अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) परिवारों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान है, जो ऐसे पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के अध्यधीन है। यह निर्धारण उस न्यूनतम सीमा को परिभाषित करता है जिसे प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चाहें, तो वे संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए इन श्रेणियों के तहत लक्ष्य को बढ़ा सकते हैं। यह श्रेणीवार संतृप्ति दृष्टिकोण के अनुरूप होगा, जिसके तहत कमजोर और वंचित समूहों से संबंधित लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना आवश्यक है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के आलोक में, राज्यों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे जहाँ तक संभव हो, राज्य स्तर पर 5% लाभार्थी दिव्यांगजनों में से होना सुनिश्चित करें।

पीएमएवाई-जी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान के लिए 'बहिष्करण मानदंड' को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 09.08.2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है। भूमि स्वामित्व से संबंधित 'बहिष्करण मानदंडों को सरल बनाकर 2 मानदंडों में बदल दिया गया है, जो इस प्रकार हैं: "2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि होना" और "5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि होना"। इसके अलावा, "मोटर चालित दो/तीन/चार-पहिया वाहन/मछली पकड़ने वाली नाव" से संबंधित

'बहिष्करण मानदंड को संशोधित कर "मोटर चालित तीन/चार-पहिया वाहन" कर दिया गया है। इसमें से 'मोटर चालित दो-पहिया वाहन' और 'मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव' को हटा दिया गया है, क्योंकि गरीब परिवारों द्वारा इनका उपयोग आजीविका के साधन के रूप में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आय सीमा से संबंधित 'बहिष्करण मानदंड, जो कि "परिवार का कोई भी सदस्य ₹10,000 प्रति माह से अधिक कमाता हो" उसे संशोधित कर "परिवार का कोई भी सदस्य ₹15,000 प्रति माह से अधिक कमाता हो" कर दिया गया है। यह संशोधन पिछले कुछ वर्षों में जीवनयापन की लागत में हुई वृद्धि के कारण किया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने और 'आवास+' सूची को अद्यतन करने के लिए आवास+ 2024 सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है।

******

अनुबंध

"प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवास" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 245 (5वां स्थान) के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएवाई-जी के तहत संचयी लक्ष्यों और पूरे किए जाने वाले शेष आवासों के साथ पूर्ण किए गए आवासों का वर्ष वार विवरण के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण नीचे दिया गया है:

(क) संचयी लक्ष्य और पूर्ण किए जाने हेतु लंबित आवास

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य**	**लक्ष्य की तुलना में पूरे होने वाले आवासों की कुल संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	35937	346
2	असम	2987868	847208
3	बिहार	5012752	1039788
4	छत्तीसगढ़	2642224	836239
5	गोवा	257	14
6	गुजरात	902354	212133
7	हरियाणा	106460	65252
8	हिमाचल प्रदेश	121502	58646
9	जम्मू और कश्मीर	336498	13322
10	झारखंड	2234176	633522
11	केरल	232916	197537
12	मध्य प्रदेश	5774572	1590456
13	**महाराष्ट्र**	**4370829**	**2691219**
14	मणिपुर	108550	51825
15	मेघालय	188034	31253
16	मिजोरम	29967	4608

17	नागालैंड	48830	12461
18	ओडिशा	2849889	327014
19	पंजाब	103674	55835
20	राजस्थान	2497121	621757
21	सिक्किम	1399	6
22	तमिलनाडु	957825	291968
23	त्रिपुरा	376913	3028
24	उत्तर प्रदेश	3685704	43583
25	उत्तराखंड	69194	964
26	पश्चिम बंगाल	4569423	1149043
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3424	2097
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11364	5372
29	लक्षद्वीप	45	0
30	आंध्र प्रदेश	247114	156910
31	कर्नाटक	944140	776517
32	लद्दाख	3004	0
कुल (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)		**4,14,53,959 (4.14 करोड़)**	**1,17,19,923 (1.17 करोड़)**

नोट: पीएमएवाई-जी को दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं किया गया है। तेलंगाना राज्य ने इस योजना के शुरू होने यानी 01.04.2016 से ही पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया है।

(ख) वित्त वर्ष 2016-17 से 2025-26 के दौरान पूर्ण किए गए आवासों का वित्त वर्ष-वार विवरण (05.03.2026 की स्थिति के अनुसार):

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष (2016-17 से 2025-26 तक 05.03.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पूर्ण हुए आवास									
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	85	747	2417	992	9350	19307	2693	0
2	असम	4	26059	159017	84010	130879	117694	100932	315047	174195	124623
3	बिहार	1	28135	581825	376216	942613	508362	114785	65377	79498	243652
4	छत्तीसगढ़	136	365867	341378	34587	59684	23289	33688	154789	252771	540033
5	गोवा	0	0	22	3	87	19	12	91	6	3
6	गुजरात	12	95280	83097	35589	50742	77282	65577	120728	42043	119871
7	हरियाणा	1	6675	5961	6670	1215	263	5403	2250	384	12386
8	हिमाचल प्रदेश	1	3504	3096	447	605	1884	3654	2011	14060	33594
9	जम्मू और कश्मीर	0	1966	13850	5016	21569	42515	79294	50950	92720	15296
10	झारखंड	25	188295	272678	156974	235011	295036	363796	47288	6577	34974
11	केरल	48	9444	6519	779	686	2440	8825	4782	666	1190
12	मध्य प्रदेश	152	636365	700447	272863	261254	606303	1058617	112624	78794	456697
13	**महाराष्ट्र**	**219**	**145630**	**201969**	**92285**	**181691**	**179021**	**343558**	**89287**	**55199**	**390751**
14	मणिपुर	0	66	7655	1151	2379	3626	13955	1669	7306	18918

15	मेघालय	0	260	11329	4995	5016	7009	6918	21611	84676	14967
16	मिजोरम	0	1333	900	997	1123	1158	1020	13824	4520	484
17	नागालैंड	0	0	17	3687	535	0	3210	3859	18465	6596
18	ओडिशा	443	431669	403125	361189	395105	97145	30374	386967	265610	151248
19	पंजाब	0	608	12751	410	3908	5473	11380	3675	1180	8454
20	राजस्थान	108	317727	326599	166761	315446	141279	395176	24911	19812	167545
21	सिक्किम	0	372	646	34	13	5	41	197	83	2
22	तमिलनाडु	0	78680	104388	49986	51868	57322	175278	88864	30174	29297
23	त्रिपुरा	0	3333	20690	6155	15462	1639	180494	118923	22458	4731
24	उत्तर प्रदेश	14	817001	426571	174166	37710	109463	662395	340272	70143	19196
25	उत्तराखंड	4	6236	5925	192	19	3844	12493	30954	8497	66
26	पश्चिम बंगाल	30	589790	739774	286333	678583	959228	147386	10418	7671	1167
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	286	483	335	97	24	23	79
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	7	203	221	972	641	1486	331	168	1963

29	लक्षद्वीप	0	0	0	9	28	7	0	1	0	0
30	आंध्र प्रदेश	681	27347	18674	5	0	0	2167	27556	8658	5116
31	कर्नाटक	236	34317	43760	7085	2405	11239	2641	23571	24495	17874
32	लद्दाख	0	0	0	1344	62	22	1	1574	1	0
कुल		**2115**	**3815966**	**4492951**	**2131192**	**3399570**	**4239725**	**5774703**	**2083732**	**1373546**	**2420773**

नोट: पीएमएवाई-जी को दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं किया गया है। तेलंगाना राज्य ने इस योजना की शुरुआत, यानी 01.04.2016 से ही पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया है।

*****